राज्य सभा में पुरः स्थापित रूप में

2026 का विधेयक संख्यांक 72

[दि माइक्रो, स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ डेवलेपमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2026 का हिन्दी पाठ]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम विकास अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद्‌ द्‌वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम विकास (संशोधन) अधिनियम, 2026 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्‌वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,--

(i) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(घक) "विकास आयुक्त" से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में, भारत सरकार के विकास आयुक्त कार्यालय का प्रशासनिक प्रमुख अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (छ) में, "खंड (क) के उपखंड (iii) या खंड (ख) के उपखंड (iii) के" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (ज) में, "खंड (क) के उपखंड (i) या खंड (ख) के उपखंड (i) के" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(iv) खंड (त्र) में, "अधिसूचना अभिप्रेत है" शब्दों के पश्चात्, 'और "अधिसूचित" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(v) खंड (ड) में, "खंड (क) के उपखंड (ii) या खंड (ख) के उपखंड (ii) के" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ण) में, "एक अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो" शब्दों के स्थान पर, "विकास आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 7 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिसूचना द्वारा, उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, जिसे वह निम्नलिखित दोनों मानदंडों के प्रति आवश्यक समझे, उद्यमों को, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत कर सकेगी, अर्थात् :-- 1951 का 65

(क) संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान ; और

(ख) आवर्त ।

स्पष्टीकरण 1–शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि संयंत्र और मशीनरी में विनिधान की संगणना करने में, प्रदूषण नियंत्रण, अनुसंधान और विकास, औद्योगिक सुरक्षा युक्तियों और ऐसी अन्य मदों की, जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, लागत को अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2–यह स्पष्ट किया जाता है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29ख के उपबंध, इस उपधारा में विनिर्दिष्ट उद्यमों को लागू होंगे ।"। 1951 का 65

धारा 8 के स्थान पर, नई धारा का प्रतिस्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का ज्ञापन ।

"8. (1) केंद्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रजिस्ट्रीकरण हेतु ज्ञापन के नि:शुल्क और स्वैच्छिक प्रस्तुतीकरण के लिए, एक राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल अधिसूचित करेगी, जिससे उन्हें इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे प्ररूप और रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, केंद्रीय सरकार से फायदे प्राप्त करने में सक्षम और समर्थ बनाया जा सके ।

(2) राज्य सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रजिस्ट्रीकरण हेतु ज्ञापन के नि:शुल्क और स्वैच्छिक प्रस्तुतीकरण के लिए, एक राज्य डिजिटल पोर्टल अधिसूचित कर सकेगी, जिससे वे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे प्ररूप और रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, राज्य सरकार से लागू फायदे प्राप्त कर सके ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को, उनकी योजनाओं के अधीन लागू फायदे भी उपलब्ध करा सकेगी ।"।

धारा 14 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) में, "की उपधारा (1)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 15क का अंत:स्थापन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली द्वारा प्राप्य का अनिवार्य निपटान ।

'15क. (1) प्रत्येक केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यम, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से माल या सेवाओं के उपापन के संबंध में, बीजकों का निपटान, रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफार्म के माध्यम से, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, करेगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से माल या सेवाओं के उपापन के संबंध में, केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यम के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी, निकाय या इकाई को, विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो इसके पश्चात् बीजकों का निपटान, उपधारा (1) में यथा उपबंधित के अनुसार, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, करेगा ।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से माल या सेवाओं के उपापन के संबंध में, ऐसे राज्य पब्लिक सेक्टर उद्यम, किसी अन्य प्राधिकारी, निकाय या इकाई को, विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो इसके पश्चात् बीजकों का निपटान, उपधारा (1) में यथा उपबंधित के अनुसार, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, करेगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली" पद से, रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के व्यापार प्राप्य के वित्तपोषण या छूट को सुकर बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक मंच अभिप्रेत है ।'।

धारा 18 का संशोधन ।

2023 का 32

8. मूल अधिनियम की मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 62 द्वारा प्रतिस्थापित धारा 18 में,--

(क) उपधारा (3) में, "मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के उपबंधों के अनुसार

किया जाएगा ।" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के उपबंधों के अनुसार, उस अधिनियम की धारा 18 के अधीन उपबंधित मध्यस्थता की समय-सीमा के सिवाए, किया जाएगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसी समय-सीमा उपधारा (3क) के अनुसार होगी ।" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"(3क) यथास्थिति, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् या मध्यस्थता सेवा प्रदाता, प्रथम उपस्थिति के लिए नियत तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर मध्यस्थता पूरी करेगा ।";

(ग) उपधारा (4) में, "वहां परिषद्" शब्दों के पश्चात्, ", मध्यस्थता समाप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(घ) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(4क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् या वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाली कोई संस्थान या केंद्र, अभिवचन समाप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पंचाट पारित करेगा ।";

(ङ) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(5) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् या मध्यस्थता सेवा प्रदाता या वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाले किसी संस्थान या केंद्र को इस धारा के अधीन, किसी प्रदायकर्ता, जिसका आधिकारिक पता, धारा 8 के अधीन किए गए रजिस्ट्रीकरण के अनुसार, उसकी अधिकारिता के भीतर है, और भारत में कहीं भी अवस्थित क्रेता के मध्य किसी विवाद में, मध्यस्थ या माध्यस्थम् के रूप में कार्य करने की अधिकारिता होगी ।

(6) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन श्रव्य-दृश्य और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से ऑनलाइन मध्यस्थ या माध्यस्थम् संचालित करने के लिए एक ऑनलाइन तंत्र स्थापित कर सकेगी ।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट ऑनलाइन तंत्र की प्रक्रिया और रीति ऐसी होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

स्पष्टीकरण--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "श्रव्य-दृश्य और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन" में माध्यस्थम् कार्यवाहियों के संचालन और उसके आनुषंगिक अन्य विषयों में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अभिवचन प्रस्तुत करने, संचार, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक संचार के प्रसारण के लिए किसी संचार उपकरण का उपयोग सम्मिलित होगा ।'।

2023 का 32

9. मूल अधिनियम की मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 62 द्वारा यथा प्रतिस्थापित धारा 18 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- नई धारा 18क का अंत:स्थापन ।

"18क. (1) स्वयं सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् द्वारा या मध्यस्थता सेवा प्रदाता या कोई वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाली किसी संस्थान या केंद्र द्वारा, जिसे धारा 18 के अधीन कोई निर्देश किया गया है, किया गया मध्यस्थ निपटान करार या माध्यस्थम् पंचाट, राज्य सरकार द्वारा, जिला कलेक्टर या उप आयुक्त या इस निमित्त उस राज्य द्वारा, जहां क्रेता की संपत्ति अवस्थित है, अधिसूचित ऐसे किसी प्राधिकारी के माध्यम से, राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा । मध्यस्थ निपटान करार या माध्यस्थम् पंचाट का प्रवर्तन ।

(2) मध्यस्थ निपटान करार या माध्यस्थम् पंचाट द्वारा अवधारित रकम, विधिमान्य और वैध रूप से प्रवर्तनीय ऋण होगी तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अधीन मान्यताप्राप्त होने के लिए उत्तरदायी है ।"।

2016 का 31

10. मूल अधिनियम की धारा 19 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 19 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"19. (1) धारा 18 के अधीन की गई डिक्री, पंचाट, अन्य आदेश या मध्यस्थता समझौता करार को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन किसी न्यायालय द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक (जो प्रदायकर्ता नहीं है) ने, यथास्थिति, पंचाट या मध्यस्थता समझौता करार के निबंधनानुसार उस रकम का पचहत्तर प्रतिशत उसके पास अनिवार्य रूप से जमा न कर दिया हो । डिक्री, पंचाट मध्यस्थता समझौता करार अपास्त करने के लिए आवेदन ।

(2) यथास्थिति, डिक्री, पंचाट, अन्य आदेश या मध्यस्थता समझौता करार को अपास्त करने संबंधी आवेदन का निपटारा लंबित रहने तक न्यायालय यह आदेश करेगा कि जमा की गई रकम की ऐसी प्रतिशतता, जो वह मामले की परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त विचार करे, प्रदायकर्ता को संदत्त किया जाएगा :

परंतु यदि आवेदन छह मास से अधिक समय से लंबित है, तो न्यायालय प्रदायकर्ता को आवेदक द्वारा जमा की गई रकम में से अधिनिर्णीत रकम के कम से कम पचास प्रतिशत के बराबर रकम का संदाय करने का आदेश देगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन उस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर फाइल किया जाएगा, जहां प्रदायकर्ता का कार्यालय पता धारा 8 में यथानिर्दिष्ट है ।"।

11. मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 20 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"20. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानों पर, ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए, जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए विद्यमान परिषद के अतिरिक्त, पर्याप्त संख्या में सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद की स्थापना करेगी । सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद की स्थापना ।

(2) सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद धारा 18 के अधीन किए गए निर्देशों के संकल्प के समय पर समाधान के लिए नियमित आधार पर, ऐसे अंतराल पर और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार बैठक करेगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन स्थापित परिषद को निर्देशों के प्रभावी और समय पर निपटान के लिए जो आवश्यक हो, पर्याप्त अवसंरचना और संसाधन जिनमें भौतिक अवसंरचना, डिजिटल प्रणाली और प्रशिक्षित जनशक्ति सम्मिलित है, प्रदान कर सकेगी ।"।

धारा 21 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद की संरचना ।

"21. (1) सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद ऐसे तीन से अन्यून, किंतु पांच से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा गठित प्रत्येक सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

(क) सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त निदेशक की पंक्ति से अन्यून अधिकारी ; और

(ख) सूक्ष्म या लघु उद्योग या उद्यमों के संगमों के एक या अधिक पदाधिकारी या प्रतिनिधि; और

(ग) कम से कम विधि के क्षेत्र से एक सदस्य ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद की संरचना, उसके सदस्यों की रिक्तियां भरने की रीति और सदस्यों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।"।

नई धारा 22क का अंत:स्थापन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 22क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

अनुपालन की रिपोर्ट करना ।

"22क. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यम या कोई अन्य प्राधिकरण, निकाय या इकाई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उन बीजक के ब्यौरे प्रकट करेगी और धारा 15क की उपधारा (1) और उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफार्म के माध्यम से ऐसी प्ररूप और रीति में जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, निपटारा करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक राज्य पब्लिक सेक्टर उद्यम या कोई अन्य प्राधिकरण, निकाय, या इकाई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उन बीजक के ब्यौरे प्रकट करेगी और धारा 15क की उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफार्म के माध्यम से ऐसी प्ररूप और रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, निपटारा करेगी ।"।

14. मूल अधिनियम की धारा 27 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 27 के स्थान पर नई धारा 27 और धारा 27क का प्रतिस्थापन ।

"27. जो कोई जानबूझकर धारा 8 के अधीन फाइल किए गए रजिस्ट्रीकरण ज्ञापन में मिथ्या जानकारी देता है या धारा 26 की उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है वह - धारा 8 या धारा 22 या धारा 26 के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

(क) प्रथमत: अननुपालन पर चेतावनी देना;

(ख) द्वितीय या पश्चातवर्ती अननुपालन की दशा में ऐसी शास्ति से, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी, किंतु जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी, दायी होगा ।

(2) जहां कोई क्रेता धारा 22 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह,--

(क) प्रथमत: अननुपालन पर चेतावनी देना;

(ख) द्वितीय उल्लंघन ऐसी शास्ति से, जो दस हजार रुपये से कम की नहीं होगी, किंतु जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी, दायी होगा;

(ग) तीसरे या पश्चातवर्ती उल्लंघन की दशा में जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा;

(3) इस धारा के अधीन उपबंधित शास्तियां, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रारम्भ से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, इसके लिए उपबंधित शास्ति की न्यूनतम रकम के दस प्रतिशत तक, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, बढ़ाई जाएंगी ।

27क. (1) धारा 27 के अधीन शास्तियों के न्यायनिणर्यन के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार विकास आयुक्त को ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगी : शास्तियों का न्यायनिर्णयन ।

परंतु कोई ऐसी शास्ति संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन, न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित हो, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रशासनिक नियंत्रण वाले केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग के प्रभारी भारत सरकार के सचिव के समक्ष अपील कर सकेगी ।

(3) तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील स्वीकृत की जा सकेगी यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था ।

(4) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के

पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे ।

(5) उपधारा (2) के अधीन अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटाई जाएगी ।

(6) यदि उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा या उपधारा (4) के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति जमा नहीं की जाती है तो वह रकम भू-राजस्व के बकाया के रुप में वसूल की जाएगी ।"।

धारा 29 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में,--

(i) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(खक) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन फाइल करने का प्ररूप और रीति;";

(ii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(घक) धारा 15क की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफार्म के माध्यम से बीजक के निपटान को रुट करने का प्ररूप और रीति;

(घख) धारा 18 की उपधारा (7) के अधीन ऑनलाइन तंत्र की प्रक्रिया और रीति;

(घग) धारा 22क की उपधारा (1) के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम के बीजक के ब्यौरों को प्रकट करने का प्ररूप और रीति;";

(iii) खंड (ङ) पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(ङक) धारा 27क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने की रीति;

(ङख) धारा 27की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्‌ध अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने का प्ररूप और रीति ;"।

धारा 30 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) में, खंड (क), और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(क) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन फाइल करने का प्ररूप और रीति;";

(ख) 15क की उपधारा (3) के अधीन व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफार्म के माध्यम से बीजक के निपटान को रुट करने का प्ररूप और रीति;

(ग) धारा 20 की उपधारा (4) के सूक्ष्म और लघु उद्‌यम सुकरीकरण परिषद् की बैठकों के अंतराल और प्रक्रिया;

(घ) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन सूक्ष्म और लघु उद्‌यम सुकरीकरण परिषद की संरचना, इसके सदस्यों की रिक्तियां भरने की रीति और सदस्यों द्वारा

उनके कर्तव्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ड.) धारा 22क की उपधारा (2) के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के बीजक के ब्यौरे को प्रकट करने का प्ररूप और रीति ; और

(च) कोई अन्य विषय, जिसे इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।"।

17. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य, की गई कोई कार्यवाही या जारी की गई कोई अधिसूचना, इस अधिनियम के उपबंधों से जहां तक हो सके संगत हो, प्रतिसंहृत किए जाने तक प्रवृत्त रहेगी और उसका प्रभाव ऐसा होगा मानों वह इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया हो, लिया गया हो या जारी किया गया हो । व्यावृत्ति ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (उक्त अधिनियम) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रचार, विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था । सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आर्थिक विकास के मुख्य कारक हैं, रोजगार सृजन करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं । वे हमारे सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं ।

2. पिछले कुछ वर्षों में, तकनीकी प्रगति, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणालियों के उदय और बदलते विधिक परिदृश्य के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के परिदृश्य में परिवर्तन आया है, जिसके लिए अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके ।

3. उपरोक्त को देखते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है–

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के निःशुल्क और स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकरण के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म को अधिसूचित करने का उपबंध किया गया है ;

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से वस्तुओं और सेवाओं के उपापन के लिए सभी केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यम को व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफार्म के माध्यम से बीजकों के निपटान को अनिवार्य करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के तरलता मुद्दों को संबोधित करना । राज्यों को अपने पब्लिक सेक्टर के उद्यम के लिए इसी तरह के उपबंध को अंगीकार करने के लिए सशक्त बनाने का उपबंध भी किया गया है ;

(ग) राज्य सरकारों को उनकी संरचना को युक्तिसंगत बनाकर अतिरिक्त सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद की स्थापना करने की सुविधा प्रदान करना ;

(घ) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विलंबित संदाय विवादों के तीव्र न्यायनिर्णयन को सुनिश्चित करने के लिए समय-सीमा विहित करना ;

(ङ) मध्यस्थता समझौते या मध्यस्थता पंचाट की वसूली भूमि राजस्व के बकाया के रूप में प्रदान करना ;

(च) यदि डिक्री पंचाट या अन्य आदेश अपास्त करने संबंधी आवेदन छह मास से अधिक से लंबित है, तो न्यायालयों को सूक्ष्म और लघु उद्यम प्रदायकर्ताओं को अधिनिर्णीत रकम का कम से कम पचास प्रतिशत संदाय करने का आदेश देने हेतु सशक्त करना ;

(छ) कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में अपराधों को अपराधमुक्त करना, पहली बार में चेतावनी सम्मिलित करके सिद्धदोष-आधारित जुर्माने को

श्रेणीबद्ध शास्तियों के साथ बदलना ।

4. प्रस्तावित संशोधन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें बढ़ने और विकास के चैंपियन बनने में सक्षम बनाएंगे । इससे कारोबार करने में आसानी बढ़ेगी और अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा ।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
24 जुलाई, 2026.

जीतन राम मांझी

वित्तीय ज्ञापन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026, यदि अधिनियमित किया जाता है तो भारत की संचित निधि में से आवर्ती और अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अंतर्वलित होने की संभावना नहीं है ।

प्रत्यायोपित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 15, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 29 का संशोधन करने के लिए है, जो केन्द्रीय सरकार को विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने को सशक्त करती है । उक्त धारा की उपधारा (2) उन विषयों को विनिर्दिष्ट करती है जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे । इन विषयों में निम्निलिखित सम्मिलित है-

(i) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन फाइल करने का प्ररूप और रीति ; (ii) धारा 15क की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफार्म के माध्यम से बीजक के समाधान करने का प्ररूप और रीति; (iii) धारा 18 की उपधारा (7) के अधीन ऑनलाइन तंत्र की प्रक्रिया और रीति ;(iv) धारा 22क की उपधारा (1) के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के बीजक के ब्यौरे प्रकट करने का प्रारुप और रीति; (V) धारा 27क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने की रीति ;(Vi) धारा 27क की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी को अपील करने का प्ररूप और रीति ।

2. विधेयक का खंड 16, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 30 का संशोधन करने के लिए है जो राज्य सरकार को विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने को सशक्त करती है । उक्त धारा की उपधारा (2) उन विषयों को विनिर्दिष्ट करती है जिनकी बावत नियम बनाए जा सकेंगे । इन विषयों में निम्निलिखित सम्मिलित है-

(i) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन फाइल करने का प्ररूप और रीति; (ii) धारा 15क की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफार्म के माध्यम से बीजक के समाधान करने का प्ररूप और रीति; (iii) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् की बैठकों के लिए अंतराल और प्रक्रिया ; (iv) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् की संरचना, सदस्यों की रिक्तियां भरने की रीति और परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; (v) धारा 22क की उपधारा (2) के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के बीजक के ब्यौरे प्रकट करने का प्ररूप और रीति ।

3. वे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय है और अतः, प्रस्तावित विधेयक में इनका उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) से उद्धरण

* * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

* * * * *

(घ) "क्रेता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्रदायकर्ता से प्रतिफल के लिए कोई माल क्रय करता है या कोई सेवा प्राप्त करता है ;

* * * * *

(छ) "मध्यम उद्यम" से धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (iii) या खंड (ख) के उपखंड (iii) के अधीन उस रूप में वर्गीकृत कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(ज) "सूक्ष्म उद्यम" से धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) या खंड (ख) के उपखंड (i) के अधीन उस रूप में वर्गीकृत कोई उद्यम अभिप्रेत है;

* * * * *

(ञ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

* * * * *

(ड) "लघु उद्यम" से धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) या खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन उस रूप में वर्गीकृत कोई उद्यम अभिप्रेत है;

* * * * *

अध्याय 2

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड

बोर्ड की स्थापना ।

3. (1) * * * * *

(3) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:--

* * * * *

(ण) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में एक अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, जो बोर्ड का पदेन सदस्य-सचिव होगा ।

* * * * *

अध्याय 3

उद्यमों का वर्गीकरण, सलाहकार समिति और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का ज्ञापन

1951 का 65 **7.** (1) केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11ख में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा और उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, उद्यमों के किन्हीं वर्ग या वर्गों को, चाहे स्वामित्व, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्ति संगम, सहकारी सोसाइटी, भागीदारी फर्म, कंपनी या उपक्रम हों, चाहे वे जिस नाम से ज्ञात हों, निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत कर सकेगी,– उद्यमों का वर्गीकरण ।

1951 का 65 (क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे उद्यमों की दशा में,–

(i) ऐसा सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं है;

(ii) ऐसा लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है; या

(iii) ऐसा मध्यम उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है;

(ख) सेवाएं उपलब्ध कराने या देने में लगे उद्यमों की दशा में,–

(i) ऐसा सूक्ष्म उद्यम, जहां उपस्कर में विनिधान दस लाख रुपए से अधिक नहीं है;

(ii) ऐसा लघु उद्यम, जहां उपस्कर में विनिधान दस लाख रुपए से अधिक है, किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है; या

(iii) ऐसा मध्यम उद्यम, जहां उपस्कर में विनिधान दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ।

स्पष्टीकरण 1–शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि संयंत्र और मशीनरी में विनिधान की संगणना करने में प्रदूषण नियंत्रण, अनुसंधान और विकास, औद्योगिक सुरक्षा युक्तियों और ऐसी अन्य मदों की लागत को, जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2–यह स्पष्ट किया जाता है कि उद्योग (विकास और विनियमन) 1951 का 65 अधिनियम, 1951 की धारा 29ख के उपबंध, इस धारा की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट उद्यमों को लागू होंगे ।

* * * * *

8. (1) कोई व्यक्ति, जो– सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का ज्ञापन ।

(क) अपने विवेकानुसार कोई सूक्ष्म या लघु उद्यम, या

(ख) अपने विवेकानुसार सेवाएं उपलब्ध कराने या देने में लगा हुआ कोई मध्यम उद्यम; अथवा

(ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगा हुआ कोई मध्यम उद्यम, 1951 का 65

स्थापित करने का आशय रखता हो, ऐसे प्राधिकारी के पास, जो उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा या उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, यथास्थिति, सूक्ष्म, लद्यु या मध्यम उद्यम का ज्ञापन फाइल करेगा :

परंतु कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व–

(क) कोई लघु उद्योग स्थापित किया है और उसने स्वविकेकानुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है; और

(ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक करोड़ रुपए से अधिक किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक के संयंत्र और मशीनरी में विनिधान वाले किसी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगा कोई उद्योग स्थापित किया है और उसने भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 477(अ), तारीख 25 जुलाई, 1991 के अनुसरण में कोई औद्योगिक उद्यम ज्ञापन फाइल किया था, 1951 का 65

इस अधिनियम के प्रारंभ से एक सौ अस्सी दिन के भीतर, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ज्ञापन फाइल करेगा ।

(2) ज्ञापन का प्ररूप, उसे फाइल करने की प्रक्रिया और उससे आनुषंगिक अन्य विषय वे होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सलाहकार समिति की सिफारिशों को अभिप्राप्त करने के पश्चात् अधिसूचित किए जाएं ।

(3) वह प्राधिकारी, जिसके पास किसी मध्यम उद्यम द्वारा ज्ञापन फाइल किया जाएगा, ऐसा होगा जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उस प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करेगी, जिसके पास कोई सूक्ष्म या लघु उद्यम ज्ञापन फाइल कर सकेगा ।

(5) उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया का पालन करेंगे ।

*　　*　　*　　*　　*

निधि या निधियों का प्रशासन और उपयोग ।

14. (1) *　　*　　*　　*　　*

(2) निधि या निधियों का उपयोग अनन्य रूप से धारा 9 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उपायों के लिए किया जाएगा ।

*　　*　　*　　*　　*

सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण

18. (1) *　　*　　*　　*　　*

परिषद् को निर्देश ।

(3) इस धारा के अधीन मध्यस्थता का संचालन, मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन आरंभ की गई मध्यस्थता सफल नहीं होती है, और पक्षकारों के मध्य कोई समझौता हुए बिना समाप्त हो गई है, वहां परिषद् या तो विवाद पर स्वयं माध्यस्थम् के लिए कार्रवाई करेगी या उसे ऐसे माध्यस्थम् के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं उपलब्ध कराने वाली किसी संस्था या केन्द्र को निर्दिष्ट करेगी और तब माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के उपबंध ऐसे विवाद को ऐसे लागू होंगे, मानो माध्यस्थम् इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी माध्यस्थम् करार के अनुसरण में हो ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् या अनुकल्पी विवाद समाधान सेवाएं उपलब्ध कराने वाली किसी संस्था या केन्द्र को उसकी अधिकारिता के भीतर अवस्थित प्रदायकर्ता और भारत में कहीं भी अवस्थित क्रेता के मध्य किसी विवाद में इस धारा के अधीन मध्यस्थ या मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की अधिकारिता होगी ।

डिक्री, पंचाट या आदेश अपास्त करने के लिए आवेदन ।

19. परिषद् द्वारा स्वयं या आनुकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं उपलब्ध कराने वाली किसी ऐसी संस्था या केन्द्र द्वारा, जिसे परिषद् द्वारा निर्देश किया गया है, पारित की गई किसी डिक्री, पंचाट या अन्य आदेश को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन किसी न्यायालय द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी (जो प्रदायकर्ता नहीं है) ने ऐसे न्यालालय द्वारा निदेशित रीति में, यथास्थिति, डिक्री, पंचाट या अन्य आदेश के निबंधनानुसार उस रकम का पचहत्तर प्रतिशत उसके पास जमा न कर दिया हो :

परंतु डिक्री, पंचाट या आदेश को अपास्त करने संबंधी आवेदन का निपटारा लंबित रहने तक न्यायालय यह आदेश करेगा कि जमा की गई रकम की ऐसी प्रतिशतता का जो वह मामले की परिस्थितियों में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना आवश्यक समझे, युक्तियुक्त विचार करे और प्रदायकर्ता को संदाय किया जाएगा ।

सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् की स्थापना ।

20. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानों पर ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक या अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् की स्थापना करेगी ।

सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् की संरचना ।

21. (1) सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् ऐसे तीन से अन्यून, किंतु पांच से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात्:–

(i) यथास्थिति, लघु उद्योगों या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले राज्य सरकार के विभाग में उद्योग निदेशक, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, या ऐसे अन्य अधिकारी, जो ऐसे निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो; और

(ii) राज्य में सूक्ष्म या लघु उद्योग अथवा उद्यमों के संगमों के एक या अधिक पदाधिकारी या प्रतिनिधि; और

(iii) सूक्ष्म या लघु उद्यमों को उधार देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं

के एक या अधिक प्रतिनिधि; और

(iv) उद्योग, वित्त, विधि, व्यापार या वाणिज्य के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्ति ।

(2) उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन नियुक्त व्यक्ति सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् का अध्यक्ष होगा ।

(3) सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् की संरचना, उसके सदस्यों में रिक्तियां भरे जाने की रीति और सदस्यों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

* * * * *

धारा 8 या धारा 22 या धारा 26 के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

27. (1) जो कोई धारा 8 की उपधारा (1) या धारा 26 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी उपबंध का साशय उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा अथवा उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरण करेगा, वह–

(क) प्रथम उल्लंघन की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा; और

(ख) द्वितीय या पश्चात्वर्ती उल्लंघन की दशा में, ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से कम का न होगा किंतु दस हजार रुपए तक का हो सकेगा,

दंडनीय होगा ।

(2) जहां कोई क्रेता धारा 22 के उपबंधों का उल्लंघन करता है वहां वह ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

नियम बनाने की शक्ति ।

29. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:–

* * * * *

(ख) धारा 6 के अधीन सदस्य-सचिव की शक्तियां और कृत्य;

* * * * *

(घ) वह मानदंड जिस पर धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन रकमें निर्मोचित की जा सकेंगी;

(ङ) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन दी जाने वाली जानकारी और वह प्ररूप, जिसमें वह दी जाएगी; और

* * * * *

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति ।

30. (1) * * * * *

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् की संरचना, सदस्यों की रिक्तियों को भरने की रीति और धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) कोई अन्य विषय, जिसे इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

* * * * *

RS-P&PS-GB(H)–024–27.07.2026.